प्रकरण संख्या 59/2019 रतनलाल बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.01.2025	पत्रावली वास्ते आदेश प्रीवेल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने वक्त बहस निवेदन किया कि आप न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2016 के विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलान्ट खेमा के वारिसान द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर मुकदमा नंबर 5142/2016 निर्णय दिनांक 09.07.2019 से अपीलान्टगण की द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए आप न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2026 अपास्त करते हुए प्रकरण आप न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। आप न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2026 के विरूद्ध एक अन्य अपील खेमा के पुत्र डूंगाराम द्वारा अपील माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की, जो प्रकरण संख्या 2299/2017 निर्णय दिनांक 01.06.2023 से खारिज कर दी गयी। इस प्रकार आप न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2026 के विरूद्ध दो अलग–अलग अपीलें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश हुई है। प्रथम अपील खेमा के सभी वारिसान द्वारा प्रस्तुत की गयी थी, जो रिमाण्ड की गयी, जबकि दूसरी अपील खेमा के एक वारिस डूंगाराम द्वारा खेमा के अन्य वारिसों की जानकारी के बिना प्रस्तुत की गयी, जो खारिज हो गयी। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्ध दो निर्णय पारित कर दिये गये, प्रथम निर्णय वर्ष 2019 में एवं द्वितीय निर्णय वर्ष 2023 में किया गया। एक बार निर्णय कर देने के बाद उसी निर्णय के विरूद्ध पारित दूसरा निर्णय कानूनन वोईड है तथा पूर्व निर्णय ही प्रभावी रहेगा, जैसाकि धारा 11 जा.दी. के अनुसार रेसज्यूडीकेटा से द्वितीय निर्णय बार्ड है। इसलिए द्वितीय निर्णय की कानूनन कोई मान्यता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 09.07.2019 की पालना में अग्रिम कार्यवाही किये जाने का आदेश फरमाया जावे। उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अद्यतन निर्णय ही प्रभावी माना जाना चाहिए। अतः प्रिवेल प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अद्यतन निर्णय प्रभावी मानते हुए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का बाद का निर्णय दिनांक 01.06.2023 अनुसार अपीलान्ट का प्रिवेल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। Signature Not Verified Digitally signed by Kirti Rathore Date: 2025.03.06 11:36:37 IST Reason: SelfAttested (कीर्ति राठौड़) भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	